भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2474

13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दवाओं का परीक्षण और निगरानी

†2474. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा जांचे गए कफ सिरप, दवाओं, ओरल रिहाइड्रेशन लवणों (ओआरएस), प्रोटीन पाउडर और अन्य पोषक तत्वों की खुराक के नमूनों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने नमूनों को स्तरहीन अथवा मिलावटी पाया गया है और संबंधित विनिर्माताओं अथवा वितरकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और मिलावट के विरुद्ध चेतावनी जारी करने के लिए सार्वजनिक अधिसूचना जारी की गई है;

(ग) क्या सरकार ने स्वास्थ्य और पोषण संबंधी नकली उत्पादों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए कोई विशेष अभियान शुरू किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औषध परीक्षण अवसंरचना और प्रयोगशाला क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): देश में औषधियों के विनिर्माण, बिक्री एवं संवितरण को औषधि ओर प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत लाइसेंसिंग एवं निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से विनियमित किया जाता है।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के औषधि नियंत्रकों (एसडीसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विगत पांच वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के औषधि नियंत्रकों द्वारा मानक गुणवत्ता रहित/नकली/मिलावटी बताए गए औषधि नमूनों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	जांचे गए औषधि नमूनों की संख्या	मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं माने गए औषधि नमूनों की संख्या	मिलावटी/नकली घोषित किए गए औषधि नमूनों की संख्या
2020-21	84,874	2,652	263
2021-22	88,844	2,545	379
2022-23	96,713	3,053	424
2023-24	1,06,150	2,988	282
2024-25	1,16,323	3,104	245

इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और इसके क्षेत्रीय कार्यालय, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (एफएसएस), 2006 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत स्थापित गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य पदार्थों की नियमित निगरानी, निरीक्षण और उनका यादृच्छिक नमूनाकरण करते हैं।

(ग): देश में औषधि निर्माण प्रतिष्ठानों की गुणवत्ता निगरानी के भाग के रूप में और विनियामक अनुपालन का आकलन करने के लिए, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने राज्य विनियामकों के सहयोग से दिसंबर 2022 में औषधि विनिर्माण और परीक्षण फर्मों का जोखिम-आधारित निरीक्षण शुरू किया। फर्मों की पहचान जोखिम मानदंडों, जैसे-उन औषधियों की संख्या जिन्हें मानक गुणवत्ता रहित घोषित किया गया है, उत्पादों के बारे में शिकायतें उनकी आलोचना आदि के आधार पर की गई है। अब तक, सीडीएससीओ ने एसडीसी के साथ मिलकर दिसंबर 2022 से 960 से अधिक प्रतिष्ठानों का जोखिम-आधारित निरीक्षण किया है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा औषधि नियमावली 1945 में अंतर्निहित

प्रावधानों के अनुसार 860 से अधिक कार्रवाई की गई हैं, जिनमें कारण बताओ नोटिस जारी करना, उत्पादन रोकने का आदेश, लाइसेंस/उत्पाद लाइसेंस का निलंबन व उन्हें रद्द करना और चेतावनी पत्र जारी करना शामिल हैं।

विभिन्न कंपनियों की उन औषधियों की सूची, जिन्हें केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा मानक गुणवत्ता रहित/नकली/मिलावटी घोषित किया गया है, सीडीएससीओ की वेबसाइट (www.cdsco.gov.in) पर ड्रग अलर्ट शीर्षक के तहत अपलोड की गई है और उपलब्ध है, तथा औषधि ओर सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में अंतर्निहित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू की गई है।

(घ): इसके अतिरिक्त, देश में औषधि विनियामक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित योजना 'राज्यों की औषधि विनियामक प्रणाली को सुदृढ़ करना (एसएसडीआरएस)' लागू की है। इस योजना के अंतर्गत देश में मौजूदा राज्य प्रयोगशालाओं का उन्नयन, नई औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और मौजूदा राज्य औषधि नियंत्रण कार्यालयों का उन्नयन शामिल है। एसएसडीआरएस योजना के तहत, केंद्रीय अंश के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 756 करोड़ रुपये की निधियाँ जारी की गई हैं और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 19 नई औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया है तथा 28 मौजूदा प्रयोगशालाओं का स्तरोन्नयन किया गया है।
